

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(9)खान/ग्रुप-1/2020

जयपुर, दिनांक:

29 JUL 2021

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2018-19 एवं नियमित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2019-20 की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित खनिकार्यदेशक श्रेणी-प्रथम को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से सहायक खनि अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2018-19 (रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री बंशीलाल सुथार	सामान्य
2.	श्री शांतिलाल अहारी	अ.ज.जा. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध सेवा में आरंभिक नियुक्ति की वरिष्ठता के आधार पर चयनित)
3.	श्री प्रभूलाल सरोया	सामान्य

वर्ष 2019-20 (नियमित)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री दिलीप सुथार	सामान्य	2019-20	01.08.2019
2.	श्री गोविन्द सिंह मीणा	अ.ज.जा.	2019-20	01.09.2019

वर्ष 2018-19 (रिव्यू) में क्र.सं. 1 पर अंकित श्री बंशीलाल सुथार पूर्व में चयनित होकर सहायक खनि अभियंता पद पर कार्यरत होने के कारण यथावत अपने कार्यस्थल पर पूर्व की भांति कार्यरत रहेंगे। अन्य अधिकारियों के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे। अतः पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरांत ही पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- ✓ 5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव